

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(1)

फर्द अहकाम

मु. नं. 79/11

तारीख 20.9.11

उजवान - मुनीराम vs मूलचन्द्र कौंठ

दावा - वाचत डिक्विजन आफ होल्डिंग

वादी की ओरसे श्री. रमेश भरोसी युवा एडवोकेट ने दावा वाचत तक्रारमा पेश किया डिक्विजन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण तसब कर पत्रा. दिनांक 9.11.11 को पेश हो।

3078-85

2/9/11

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (कौली)

29/11 वादी वकील उपरो. प्रतिवादी नं. 8 वाक्य 5 सूचना उपरो नहीं। इनके बिना एक पक्षीय कार्रवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रतिवादी नं. 7 की ओरसे श्री. नरेंद्रकुमार जोशी एडवो. ने वकालत नामा एवं प्रतिवादी नं. 6 की ओरसे श्री. मो. पेश किया। शेष प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 4 के सम्मन काद तामील प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्ते गवाब प्रति. नं. 7, वास्ते वकालत नामा प्रति. नं. 6, वदुन्तजा तामील प्रति. नं. 1, 2, 3, 4 दिनांक 29.11.11 को पेश हो।

29/11 वादी वकील उपरो. 1 P. सादर अवकाश पर पंचो है। अलाउद्दिन दि. 3-1-12 को पेश हो।

3-1-12 बार एसो द्वारा कार्य स्थगन रखा जाए प्रवाप ली गलाउमा दि. 2-2-12 को पेश हो।

5

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वकुलाय उपठ / वादी वकील ने प्रापत्र 06 R.17 व 01 R.10  
पेश किया / पीठासीन अधिकारी अनुमति पत्र पत्रों हैं / दिनांक  
21.1.16 को पेश है।

21/16 वकुलाय उपठ / गत मुसए दिनांक 22.1.16 को पेश है।

वकुलाय उपठ / वादी वकील ने प्रापत्र 06 R.17 व 01 R.10 पर  
पुनः कस कोन का कथन किया करते कस पर 5.2.16 को पेश है।

5.2/16 वकुलाय उपठ / प्रापत्र 06 R.17 व 01 R.10 पर कथन  
कोते हुए वकील उभय पक्ष ने पक्ष रखा है कि प्रमाणों  
अधिक संशोधन किये जाने ही न्यायालय नया दावा  
पेश करने की अनुमति प्रदान करते दावा वापिस कोते में  
कोई आपत्ति नहीं है प्रमाण का अवलोकन किया / नवीन  
जमाबंदी अनुसार भी खोतवा परिवर्तित हो चुके हैं कि आज  
नया दावपत्र प्रस्तुत करने के लिए वादी स्वतन्त्र ही अह  
यह दावा इसी स्टेज पर खोजि किया जाता है / पत्रावली  
फैसल अनुसार ठोकर नामक से कम होकर दाखिल दफ्तार है।

जिला कलक्टर  
टोडाभीम (कस)